धारदार हथियार से वार करने के बाद पत्थरों से सिर कुचला

सौतेले पिता ने किशोर का बेरहमी से किया कत्ल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में शुक्रवार सुबह एक 12 वर्षीय लड़के का शव झाड़ियों में मिला। मृतक अल्तमश के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाये गये हैं। पुलिस ने बताया कि लड़के की मां के दूसरे पति की भूमिका आरोपी के रूप में सामने आई है। पुलिस फरार आरोपी वाजिद की तलाश में छापेमारी कर रही है।

पुलिस को शुक्रवार सुबह नौ बजकर 50 मिनट पर वारदात की सूचना मिली। इसके बाद एक टीम शास्त्री पार्क चौक लूप के पास घटनास्थल पर पहुंची। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला किशोर बेहोश पाया गया। पुलिस उसे तत्काल जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़के को सिर पर घाव समेत कई चोटें आई थी। पुलिस ने बताया कि गंभीर मारपीट के निशान और आंखों पर चोटें देखी गई, जिसके कारण विस्तृत फोरेंसिक जांच शुरू की गई। अल्तमश, शास्त्री पार्क में परिवार के साथ रहता था। परिवार में मां मुमताज, बड़ा भाई अमन, वसी और सौतेला पिता वाजिद है। एक शादीशुदा बहन है। मृतक की बहन ईरम ने बताया कि 2019 में उनके पिता शफीक की मौत हो गई थी। पिता की मौत के कुछ माह बाद ही मां ने निजामुद्दीन में वाजिद से शादी कर ली थी। वाजिद पहले से शादीशुदा था और रिक्शा चलाता था। एक हफ्ते से वाजिद और मुमताज के बीच झगड़ा चल रहा था। झगड़े के बाद महिला अपनी बहन के घर जाकर रहने लगी। गुरुवार को अल्तमश व उसका भाई वसी शास्त्री पार्क स्थित अपने सरकारी स्कूल गए थे। वे सातवीं और नौवीं कक्षा में पढ़ते थे। शाम को छुट्टी होने के दौरान वाजिद रिक्शा लेकर स्कूल पहुंच गया। वह दोनों बच्चों को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास पहुंचकर उसने बड़े बेटे को रिक्शे पर बैठे रहने और छोटे को झाड़ियों में चूहा दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया। एक घंटे बाद वह झाड़ियों से बाहर आया। उसने वसी से कहा कि अल्तमश घर चला गया है, तुम भी घर चले जाओ। घर जाने के बाद उसने मां को फोन पर घटना बताई। देर शाम तक अल्तमश घर नहीं लौटा। परिजनों ने बच्चे को काफी तलाशा मगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह आरोपी ने अल्तमश की मां को फोन पर उसका वीडियो भेजा। वीडियो के आधार पर किशोर को तलाशा गया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।

ज्योति नगर में दंपति घर में मृत पाए गए

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले के ज्योति नगर में एक दंपति अपने घर के अलग-अलग कमरों में मृत पाए गए। मृतकों के नाम अजय दीक्षित (50) और रीता कुमारी (48) बताये गये हैं। प्रारंभिक जांच में दंपति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किये जाने की बात सामने आई है। हालांकि मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल सकेगा। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना ज्योति नगर थाने को शुक्रवार रात करीब 12.05 बजे मिली। एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर व्यक्ति और महिला के शव अलग-अलग कमरों में पड़े पाए। घटनास्थल की जांच और साक्ष्य जुटाने के लिए एक फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। शवों को बाद में मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक व्यक्ति का अपना व्यवसाय था और उसे कारोबार में नुकसान हुआ था। आशंका है कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार दबाव में रहा होगा। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पड़ोस के एक शख्स ने बताया कि वे लगभग एक साल पहले यहां रहने आए थे। दंपति के दो बेटे भी साथ रहते थे। एक की उम्र 29 और दूसरे की 25 वर्ष के आसपास है।

कैफे में हत्या के बाद वीडियो पोस्ट करने वाला दबोचा

नई दिल्ली। वेलकम इलाके में गोलीबारी और हत्या के मामले में वांछित व्यक्ति को शुक्रवार को स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहम्मद मोइन कुरैशी (24) को तिमारपुर इलाके से पकड़ा गया। इसने हत्या के बाद एक वीडियो बनाकर वारदात की जिम्मेदारी ली थी। आरोपी ने मृतक के भाई द्वारा लगाये गये आरोपों का भी खंडन किया था। पुलिस ने बताया कि जानकारी के आधार पर एक टीम तिमारपुर इलाके में तैनात की गई थी। आरोपी को एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते देखा गया। जब पुलिस की टीम ने कुरैशी को रोकने का प्रयास किया तो उसने भागने की कोशिश की और गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की। पुलिस ने बताया कुछ देर की गोलीबारी के बाद कुरैशी को काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गोली लगने से घायल कुरैशी को पास के अस्पताल ले जाया गया।

रेल पहिया कारखाना/बेला
(जिला - सारण), बिहार - 841221

ई-निविदा सूचना सं. 10/RWF/Engg/2025-26/WT/(Open) दिनांक 29.01.2026. उप मुख्य इंजीनियर/रेपका/बेला भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन "खुली ई-निविदा सूचना" भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (आईआरईपीएस) www.ireps.gov.in के माध्यम से आमंत्रित करते है- (1) कार्य का नाम, स्थान, अनुमानित लागत, अग्रिम जमा राशि एवं कार्य के पूरा करने का समय: निविदा सं.-17 [illegible] (2) निविदा बन्द होने की तिथि एवं समय: 19.02.2026 को 14.30 बजे तक (3) वेब साइट एवं नोटिस बोर्ड का विवरण जहाँ से निविदा की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
उप मुख्य इंजीनियर
रेल पहिया कारखाना, बेला
[illegible]/2025-26/103

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **आरोपी संदीप, पुत्र श्री सुभाष**, पता: एफ-6/217,218, सुल्तान पुरी, **दिल्ली FIR No. 479/24, U/s: 304(2),317(2)3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 पुलिस थाना: राज पार्क, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **संदीप**, मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **संदीप**, फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त **संदीप, FIR No. 479/24, U/s: 304(2),317(2)3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 पुलिस थाना: राज पार्क, दिल्ली** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **11.03.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
ईब्बानी अग्रवाल
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-03
उत्तर-पश्चिम कमरा नं. 107, प्रथम तल
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/1217/OD/2026
(Court Matter)

अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के नकली जूते बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के नकली जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसके मालिक को पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार यह फैक्ट्री सोनिया विहार इलाके में चल रही थी। इसमें बड़े पैमाने पर 'न्यू बैलेंस', 'नाइकी', 'एडिडास' और 'स्केचर्स' जैसे ब्रांड के नकली स्पोर्ट्स शूज बनाए जा रहे थे। आरोपी की पहचान सोनिया विहार निवासी संदीप सिंह (44) के रूप में हुई है। उसे छापेमारी के दौरान मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार 28 जनवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के नकली जूते बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वहां छापा मारा। छापेमारी के दौरान परिसर में जूते बनाने की एक पूरी फैक्ट्री चालू पाई गई। कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों ने पुष्टि की कि इकाई उनकी कंपनियों के 'लोगो' और ब्रांड नाम का अनधिकृत उपयोग कर जूते बना रही थी। पुलिस ने मौके से छह मशीनें, नौ प्रिंटिंग स्क्रीन और 131 डाइ बरामद की हैं। जब्त की गई सामग्री का इस्तेमाल कंपनियों के लोगो और ब्रांड नाम छापने में किया जा रहा था। इसके अलावा जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाले छह रोल और बड़ी मात्रा में कच्चा माल भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया छापेमारी के दौरान विभिन्न ब्रांड के जूतों के 9,616 ऊपरी हिस्से और उक्त कंपनियों के लोगो वाली 1,667 'स्टिकर शीट' भी बरामद की गई। इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने कक्षा 12 तक पढ़ाई की है और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से दिल्ली आया था। उसने चावड़ी बाजार में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम कर छपाई की तकनीक सीखी और बाद में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। बाद में उस व्यवसाय को उसने नकली जूते बनाने की इकाई में बदल दिया।

नरेला में स्कूटी और टैंपो की टक्कर, मां बेटे की मौत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

नरेला इलाके में शुक्रवार शाम स्कूटी और टाटा 407 टैंपो की टक्कर के बाद 16 साल के एक किशोर और उसकी 40 वर्षीय मां की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिये मोर्चरी भिजवा दिया है। आरोपी टैंपो चालक अरेस्ट कर लिया गया है। मृतक दरियापुर कलां गांव के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम लगभग 3 बजे नरेला थाने में जैन मंदिर, ओल्ड नरेला-बवाना रोड, राजीव आवास योजना परिसर के पास एक जानलेवा सड़क दुर्घटना के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और क्राइम टीम को भी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए बुलाया गया। मौके पर पूछताछ करने पर पता चला कि एक 16 साल का लड़का और उसकी 40 वर्षीय मां स्कूटी पर सवार होकर ओल्ड नरेला-बवाना रोड पर नरेला की तरफ से बवाना की तरफ जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनकी स्कूटी एक टाटा-407 टैंपो से टकरा गई। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां बीजेआरएम अस्पताल में किशोर को मृत घोषित कर दिया गया जबकि वाल्मीकि अस्पताल में महिला को मृत घोषित किया गया। उक्त टैंपो के ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि किशोर के पिता का नाम मनीष कुमार निवासी दरियापुर कलां है।

गुरुओं के सम्मान से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। गुरुओं के सम्मान से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं, सच सामने आना ही चाहिए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के रवैये पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि एफआईआर, शिकायत और एफएसएल रिपोर्ट कहां हैं? पंजाब सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने व्यक्त करते हुए कहा है कि अब तक जिस प्रकार से संबंधित फाइल को रोके रखा गया है, उससे कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। न तो अब तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई गई है, न ही शिकायत की कॉपी सौंपी गई है और न ही जांच से संबंधित कोई आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। यह स्थिति संदेह को जन्म देती है और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.PC. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त, **सूरज, पुत्र** स्व. श्री सुनील पासवान, पता: मकान न.: ई-73, तृतीय तल, जे.जे. कॉलोनी, ख्याला, दिल्ली, ने **FIR No.: 359/2024, दिनांक 31.05.2024, U/s: 25/54/59 Arms Act**, थाना: ख्याला, दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, सूरज, मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, सूरज, फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No.: 359/2024, दिनांक 31.05.2024, U/s: 25/54/59 Arms Act**, थाना: ख्याला, दिल्ली, के उक्त अभियुक्त, सूरज, से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **07.03.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री शीतल रानी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-12
(पश्चिम), कमरा न. 152
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

DP/1275/WD/2026
(Court Matter)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.PC. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि दो अभियुक्त, अभियुक्त नाम 1, **दिनेश, पुत्र** जयपाल, पता: मकान न.: 15-16, गली न. 1, दीनपुर एक्सटेंशन, छावला, नई दिल्ली, **और** दूसरा अभियुक्त, नाम 2, **मनीषा,** केयर ऑफ: राकेश, पता: मकान न. 29/2/2, छावला एक्सटेंशन, नई दिल्ली, ने **FIR No.: 88/2024, U/s: 33/58, Delhi Excise Act,** थाना: जफरपुर कलां, नई दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होंने किया है) और उन पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारन्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त दोनों अभियुक्त, **दिनेश और मनीषा,** मिल नहीं रहे हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त दोनों अभियुक्त, **दिनेश और मनीषा,** फरार हो गये हैं (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No.: 88/2024, U/s: 33/58, Delhi Excise Act,** थाना: जफरपुर कलां, नई दिल्ली, के उक्त दोनों अभियुक्त, **दिनेश और मनीषा,** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **17.03.2026** को या इससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुसार
श्री अभिनव अहलावत
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-09
दक्षिण-पश्चिम जिला, कमरा न. 314
जिला न्यायालय, द्वारका, नई दिल्ली

DP/1291/DW/2026
(Court Matter)

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एलजी ने अर्पित की श्रद्धांजलि

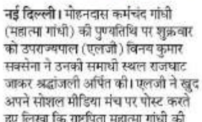

नई दिल्ली। मोहनदास कर्मचंद गांधी (महात्मा गांधी) की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने उनकी समाधी स्थल राजघाट जाकर श्रद्धांजली अर्पित की। एलजी ने खुद अपने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन। एलजी ने लिखा कि सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों के बल पर उन्होंने न केवल देश को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि सम्पूर्ण विश्व को मानवता और शांति का मार्ग दिखाया। उनके आदर्श और विचार सदैव राष्ट्र ही नहीं, बल्कि सारे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।

दिल्ली विधानसभा परिसर में भीअर्पित की पुष्पांजलि

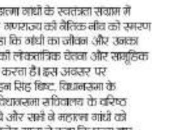

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली विधानसभा परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान और गणराज्य की नैतिक नींव को स्मरण करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गांधी का जीवन और उनका बलिदान आज भी राष्ट्र की लोकतांत्रिक चेतना और सामूहिक अंतरात्मा का मार्गदर्शन करता है। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधानसभा के सदस्यगण तथा दिल्ली विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे और सभी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूज्य बापू महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि आखिरी सांस तक सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांधी न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि इस पावन अवसर पर हम महात्मा गांधी को नमन करते हैं, जिनके बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता को सत्य, अहिंसा और निःस्वार्थ सेवा के उच्चतम आदर्शों से पवित्र किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि नैतिक बल और आचारिक शुचिता ही स्थायी सुशासन और राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ नींव है।

सिपाही ने बैरक में लगाई फांसी

नई दिल्ली। पश्चिमी जिले में तैनात दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने शुक्रवार सुबह अपने बैरक में ही आत्महत्या कर ली है। इंदर सिंह (52) पश्चिमी दिल्ली के श्वान दस्ते में संचालक के रूप में तैनात थे। उन्होंने जनकपुरी थाने के पास अपने बैरक में पंखे से लटककर फांसी लगाई। बताया जा रहा है कि वह अपनी पोती की मौत के बाद से पिछले डेढ़ साल से अवसाद में थे। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार मूलतः हरियाणा के भिवानी निवासी इंदर सिंह पश्चिमी जिले के श्वान दस्ते में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शुक्रवार सुबह जब उनके सहयोगी बैरक में पहुंचे, तो उन्हें इंदर सिंह का शव पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया है।

खुफिया ब्यूरो का अधिकारी बताकर लोगों को ठगने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने पूर्वी दिल्ली में लोगों को धोखा देने के लिए खुद को कथित तौर पर खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी के तौर पर पेश किया। वह एक मामले में भगोड़ा घोषित होने के बाद से फरार था। पुलिस के अनुसार गाजियाबाद निवासी आरोपी विमल भट्ट उर्फ सोनू को 29 जनवरी को पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2017 के एक मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि भट ने कथित तौर पर आईबी में तैनात एक आईपीएस अधिकारी होने का नाटक करके लोगों को धोखा दिया और खुद को एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश करने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि वह 'पुलिस' के स्टिकर, सायरन और लाउडस्पीकर लगे वाहन में घूमता था, ताकि अधिकारी होने का आभास कराया जा सके और आम जनता के बीच भय पैदा किया जा सके। पुलिस के मुताबिक उसके पास से आईबी का एक फर्जी पहचान पत्र, एक वॉकी-टॉकी, पुलिस वर्दी से संबंधित सामान, एक सायरन, एक लाउड हेलर (भोंपू) और गृह मंत्रालय का जाली पहचान पत्र बरामद हुआ। इसके अलावा फर्जी प्रमाणपत्रों वाले दस्तावेज भी उसके पास मिले हैं। इन बरामदगी के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। द्वारका (दक्षिण) पुलिस थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान चार अगस्त, 2025 को भट को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था।

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड

CIN: L65999DL1985PLC019846
पंजीकृत कार्यालय : ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स,
25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज नई दिल्ली-110092
E-Mail: info@sidhmanagement.in; Website: www.sidhmanagement.in

31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तृतीय तिमाही और नौ माह हेतु अअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार
[सेबी (एलओडीआर) नियमनों, 2015 के नियमन 47(1)(बी) देखें]

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	अअंकेक्षित		
		समाप्त तिमाही 31 दिसम्बर 2025	समाप्त नौ माह 31 दिसम्बर 2025	समाप्त अनुरूप तिमाही 31 दिसम्बर 2024
1	प्रचालनों से कुल आय	13.31	23.35	(18.25)
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	6.15	(0.36)	(24.05)
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	6.15	(0.36)	(24.05)
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	6.15	(0.36)	(24.05)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	6.15	(0.36)	(24.05)
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	211.75	211.75	211.75
7	रिजर्व (पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) (वार्षिकृत नहीं) मूलिक एवं तनुकृत	0.29	(0.02)	(1.14)

टिप्पणी : उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तैमाहिक अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट यथा www.msei.in पर उपलब्ध है। ये कम्पनी की वेबसाइट यथा www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/-
दिनेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन नं. : 07526355

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 30 जनवरी 2026

आज से दिल्ली एनसीआर में बारिश का एक और दौर बढ़ाएगा सर्दी, 3 फरवरी से मौसम लेगा करवट

नई दिल्ली। दिल्ली में जनवरी का महीना के साथ समाप्त होने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार 31 जनवरी 2026 की देर रात के बाद हल्की बारिश शुरू होने की संभावना है। जबकि रविवार 1 फरवरी 2026 को दिन में रुक-रुक कर कहीं कम कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं निजी मौसम अनुमान विज्ञान कंपनी स्काईमेट वेदर का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में इस बार जनवरी का महीना बारिश के साथ समाप्त होने की संभावना है। शनिवार से बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है। बीते तीन दिनों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 7.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कंपनी की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ से पहले ऊंचे स्तर के बादलों की एक परत दिल्ली और आसपास के इलाकों में छाई रहेगी, जिससे आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। शनिवार 31 जनवरी की शाम के बाद बादल और अधिक घने और नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आधी रात या तड़के हल्की बारिश शुरू हो सकती है। रविवार 1 फरवरी को हल्की, छिटपुट और रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं। वहीं, सिस्टम के अवशेष के कारण सोमवार 2 फरवरी की सुबह भी हल्की बारिश संभव है। जबकि 3 फरवरी से मौसम के साफ होने की संभावना है। लगातार बादल और बारिश के कुछ दौर के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम तापमान फिर से दो अंकों में पहुंच सकता है। हालांकि दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 जनवरी 2026 को 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जनवरी महीने में अब तक दिल्ली में कुल 25 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 19.2 मिमी होती है। शनिवार 31 जनवरी की सुबह 8:30 बजे के बाद होने वाली कोई भी बारिश फरवरी महीने में गिनी जाएगी।

दिल्ली सचिवालय में गुरु रविदास जयंती पर भव्य आयोजन

संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी भाईचारे और सामाजिक न्याय का देती है संदेश : इंद्राज

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी समानता, समरसता, भाईचारे और सामाजिक न्याय का संदेश देती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम के मौके पर कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने यह संबोधन दिया। इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास के अनुयायी एवं श्रद्धालुओं के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग तथा अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महान संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि संत रविदास की वाणी समानता, समरसता, भाईचारे और सामाजिक न्याय का संदेश देती है।

हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
New Delhi-Main Edition - 31 Jan 2026 - Page 2

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड

CIN: L65999DL1985PLC019846
पंजीकृत कार्यालय : ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स,
25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज नई दिल्ली-110092
E-Mail: info@sidhmanagement.in; Website: www.sidhmanagement.in

31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तृतीय तिमाही और नौ माह हेतु अअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार

[सेबी (एलओडीआर) नियमनों, 2015 के नियमन 47(1)(बी) देखें]

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	अअंकेक्षित		
		समाप्त तिमाही 31 दिसम्बर 2025	समाप्त नौ माह 31 दिसम्बर 2025	समाप्त अनुकूल तिमाही 31 दिसम्बर 2024
1	प्रचालनों से कुल आय	13.31	23.35	(18.25)
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	6.15	(0.36)	(24.05)
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	6.15	(0.36)	(24.05)
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	6.15	(0.36)	(24.05)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	6.15	(0.36)	(24.05)
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	211.75	211.75	211.75
7	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) (वार्षिकृत नहीं) बेसिक एवं डायल्युटेड	0.29	(0.02)	(1.14)

टिप्पणी : उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तैमाहिक अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स यथा www.msei.in पर उपलब्ध हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट यथा www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/-
दिनेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन नं. : 07526355

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 30 जनवरी 2026